<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम),नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या–114/1997</u>

शेख रैफुल आजाम एवं अन्य..वादीगण
बनाम
शेख असलम एवं अन्य...प्रतिवादीगण

<u>29.07.2022</u> उभय पक्ष की पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 05.07.2022 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 तथा आदेश 22 नियम 9 वो दफा 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर आदेश हेतु नियत है।

वादीगण को अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–02 बीबी अमरून नेशा की मृत्यु दिनांक 22.11.2021 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी संख्या–02 बीबी अमरून नेशा की विधिक वारिसान के रूप में पति जुबैर अहमद एक लडका शेख जुल्फकार तथा एक लडकी गुडिया खातुन को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से प्रतिवादी संख्या–02 बीबी अमरून नेशा का नाम कलमजद कर उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित किया जाय। जो प्रस्तुत वाद में आवश्यक पक्षकार है।

प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन का मौखिक विरोध किया है तथा आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिस कारण आवेदन को खारिज करने योग्य बताया गया।

अभिलेख परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या–02 बीबी अमरून नेशा की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकर करते है। प्रस्तुत आवेदन इनके द्वारा समय सीमा से नही दाखिल किया गया है तथा आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है। ऐसी दशा में न्याय हित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन स्वीकृत किया जाता है तथा कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी संख्या–02 का नाम कलमजद कर उसके स्थान पर आवेदन में वर्णित उसके विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तत्पश्चात वादी प्रतिस्थापित प्रतिवादीगण की उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षिकाएँ दाखिल करें। अभिलेख दिनांक 29.08.2022 को प्रस्तुत करें।

अवर न्यायाधीश (प्रथम)